4.9.19 पत्रावली आज प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मूल वाद में पत्रावली आज पेशी पर लिये जाने बाबत प्रा० प्रार्थना पत्र पेश किया, प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह कथन किया की उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र नोट शीट में दाखिल किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, आपत्ति में प्रार्थी अधिवक्ता का कथन स्वीकार किया जाकर उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र नोट शीट में दाखिल किया जाता है। पत्रावली कैफियत नुसार बेकार दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Naveen Aggarwal
4.9.19

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.) मायल